प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रमेश कुमार सुथार गोद पुत्र भूरारामजी सुथार पीपली चौक भीनमाल 343029(राज		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर
प्रकरण अपील		9 /2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/00035

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

04.04.2018

अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर ने कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत अपीलांट का आवेदन पत्र 25.01.2018 को प्राप्त हुआ। आवेदित सूचना के संदर्भ में अपीलांट को जरिए पत्रांक/1457 दिनांक 23.02.2018 द्वारा प्रत्युतर प्रेषित किया गया है व पुनः जरिए पत्रांक/186 दिनांक 04.04.2018 को वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अत:अपीलांट की अपील अस्वीकार की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 866587 के संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2018 जो कि रेस्पोडेन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के कार्यालय में 25.01.2018 को प्राप्त होना अवगत करवाया है,के द्वारा चाही सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/1457 दिनांक 23.02.2018 द्वारा भिजवाई गई तत्पश्चात पुनः आवेदित सूचना जरिए पत्रांक/186 दिनांक 04.04.2018 को भिजवाया जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। सही—

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर